



Neutral Citation No.- 2026: AHC-LKO:21546

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ

आवेदन अंतर्गत धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता संख्या 2552 वर्ष 2026

तौसीफ खान और 2 अन्य

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह शासन, लखनऊ एवं 3 अन्य

....विपक्षीगण

आवेदकों के अधिवक्ता

: अभिनव सिंह

विपक्षीगण के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, रामकार शुक्ला

न्यायालय संख्या- 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री प्रकाश सिंह,

1. अधिवक्ता श्री रामकार शुक्ला ने विरोधी पक्षकार संख्या 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल

करके उपस्थिति दर्ज कराई है और इसे अभिलेख में ले लिया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, विरोधी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री रामकार शुक्ला, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. यह आवेदन दिनांक 06.02.2021 के आरोप पत्र (केस क्राइम संख्या 33/2021, धारा 147, 323, 504, 506 आईपीसी और धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के तहत, पुलिस स्टेशन जगदीशपुर, जिला अमेठी और दिनांक 04.07.2022 के संज्ञान आदेश एवं समन आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो माननीय एस.डी-1/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर की अदालत में आपराधिक वाद संख्या 2943/2024 "राज्य बनाम तौसीफ खान और अन्य" में पारित किया गया है।
4. आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ गलतफहमी के चलते आवेदकों के खिलाफ यह एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी और उसके बाद दोनों पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद को सुलझा लिया। समझौते का दस्तावेज 17.03.2026 को लिखित रूप में तैयार किया गया था, जिसे इस आवेदन के अनुलग्नक संख्या 5 के रूप में संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है और आवेदकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही एक व्यर्थ प्रयास है क्योंकि इसमें

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मुकदमे का कोई आधार नहीं है और यह आवेदकों के उत्पीड़न के समान है, इसलिए आवेदकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

5. दूसरी ओर, विपक्षी पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के पक्ष का समर्थन किया है और निवेदन किया है कि पक्षों ने एक समझौता पत्र के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद को सुलझा लिया है और वर्तमान आवेदकों के विरुद्ध विपक्षी पक्षों की कोई और शिकायत नहीं है तथा आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है।
6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त दलीलों पर कोई आपत्ति नहीं है।
7. अब, क्या पक्षों ने वास्तव में मामले में समझौता किया है या नहीं, इसका पता विचारण न्यायालय द्वारा ही सबसे अच्छी तरह लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे समझौते को संबंधित पक्षों की उपस्थिति में न्यायालय के समक्ष विधिवत सत्यापित किया जाना आवश्यक है।
8. तदनुसार, इस आवेदन का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि यदि विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई समझौता प्रस्तुत किया जाता है, तो वह समझौते पर

हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी करके उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की मांग करे और उसके बाद समझौते का सत्यापन करे। यदि उक्त समझौता सत्यापित हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और समझौते को अभिलेख का हिस्सा बनाया जाएगा।

9. उस स्थिति में न्यायालय पक्षों को रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति के साथ-साथ समझौता प्राप्त करने की अनुमति देगा और आवेदकों के लिए कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय में फिर से आने का विकल्प खुला रहेगा।

10. दिनांक 06.02.2021 के आरोप पत्र संख्या 33/2021 धारा 147, 323, 504, 506 आई०पी०सी और धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन जगदीशपुर, जिला अमेठी में दर्ज की गई कार्यवाही और दिनांक 04.07.2022 के संज्ञान आदेश एवं समन आदेश, जो माननीय एस.डी-1/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर की अदालत में आपराधिक वाद संख्या 2943/2024 "राज्य बनाम तौसीफ खान और अन्य" में लंबित है, आवेदकों के संबंध में तीन महीने की अवधि के लिए स्थगित रहेगी।

11. विचारण न्यायालय को यह जांच करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या वे सभी पक्ष जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, समझौता करने वाले पक्ष और इस संबंध में, वह सत्यापन आदेश के साथ एक रिपोर्ट भी भेजेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई आवेदक का विद्वान अधिवक्ता हो तो मूल समझौता पत्र की छायाप्रति लेने के बाद उसे उन्हें लौटा दिया जाए।

(न्यायमूर्ति श्री श्री प्रकाश सिंह)

25 मार्च, 2026

वी. सिन्हा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।